

- : आदेश :-

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

1. वादी संख्या 1 श्यामसुन्दर के 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 जुगलकिशोर के 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 घनश्याम के 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 रामेश्वर के 1/4 हिस्सा सह हक बंट सह कब्जा काश्त में मौजा रामसर के खेत खसरा नम्बर 44 रकबा 2.0072 हैक्टेयर रखा जाकर सहखातेदारी की घोषणा कि जाती है।
2. वादी संख्या 1 श्यामसुन्दर के 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 जुगलकिशोर के 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 घनश्याम के 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 3 रामेश्वर के 1/4 हिस्सा सह हक बंट सह कब्जा काश्त में मौजा अजबपुरा के खेत खसरा नम्बर 18 रकबा 0.0647 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 22 रकबा 16.2926 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 27 रकबा 3.2213 हैक्टेयर रखे जाकर सहखातेदारी की घोषणा कि जाती है।
3. प्रतिवादीगण संख्या 4 भंवरी के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी द्वारा अपन हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटि जमा होने पर राजस्व रिकॉर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
4. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरो का रहन यथावत रहेगा। सूचित रहे।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार जायल एवं डेह को आदेश दिया जाता है कि वे नियमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 28/8/23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल